police training. Note 1.- The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall not exceed five years. Note 2.- The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of applications. Note 3.- For the purpose of appointment on deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the posts for which that grade pay or pay scale is in the normal replacement grade without any upgradation.

If a Departmental promotion committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. 23011/07/2024-PT]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2025

सा.का.नि. 33.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सिस्टम प्रशासक, भर्ती नियम, 2023को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप हैं, गृह मंत्रालय में सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सिस्टम प्रशासक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -:

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, सिस्टम प्रशासक, (समूह 'क' पद), भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर. -उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ)2) से स्तंभ)4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं आदि. -उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयुसीमा-, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ)5) से स्तंभ)13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता. - वह व्यक्ति -

(क जिसने ऐसे (व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

(खजिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए (किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है की ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयुसीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी-, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समयसमय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति-यों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सिस्टम प्रशासक।	01 * (2025) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 11 (67700-208700 रु.)।	चयन।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष।	**प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।**

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपये) में ऐसे वेब प्रशासक जिन्होंने उस श्रेणी में सात वर्ष की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1.-** वेतन मैट्रिक्स के स्तर-9 (53100-167800 रुपये) में ऐसे वेब प्रशासक के पोषक पद को धारण करने वाले व्यक्तियों के लिए पात्रता सेवा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख पर नियमित आधार पर पाँच वर्ष तक जारी रहेगी। **टिप्पण 2.-** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में	समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य – अध्यक्ष; 2. निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -सदस्य; 3. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -सदस्य। समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि	प्रोन्नति के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक हैं।

जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जबकी उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक / पात्रता सेवा,अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा, के आधे से अधिक या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो, से कम न हो तथा उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है):** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों या स्वाशासी निकाय या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56100-177500 रुपये) में या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात पांच वर्ष की सेवा की हो; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों, अर्थात्:- **आवश्यक:** (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर अनुप्रयोग या कंप्यूटर विज्ञान या मास्टर ऑफ साइंस (कंप्यूटर विज्ञान) या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर डिग्री; या (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर विज्ञान या कंप्यूटर प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; (iii) सिस्टम प्रशासन के क्षेत्र में अर्हता-पश्चात 5 वर्ष का अनुभव, अर्थात सरकारी कार्यालय या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या स्वाशासी निकाय या कानूनी निकाय या मान्यता प्राप्त संस्था में सर्वर, स्टोरेज, डेटाबेस के विन्यास और रखरखाव का अनुभव।	पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- 1. निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -अध्यक्ष; 2. संयुक्त निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -सदस्य; 3. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी -सदस्य।	

वांछनीय: (i) स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क प्रौद्योगिकियों के विन्यास का एक वर्ष का अनुभव; (ii) वेब स्पीयर, अपाचे, इंटरनेट सूचना सेवा और पर्ल, हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, पायथन जैसी या उसके समान वेब-आधारित प्रौद्योगिकियों का एक वर्ष का अनुभव; और (iii) नेटवर्क और सूचना सुरक्षा, एप्लिकेशन सुरक्षा ऑडिटिंग, फ़ायरवॉल प्रबंधन और भेद्यता मूल्यांकन का एक वर्ष का अनुभव। **टिप्पण 1.-** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 2.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 3.-** प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा. सं. 23011/79/2018-पी.टी.(ई)]

चंदन कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 25th March, 2025

G.S.R.33.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, System Administrator Recruitment Rules 2023, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of System Administrator in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, in the Ministry of Home Affairs, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, System Administrator (Group 'A' Post) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.- The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for the reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. – Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in pay matrix.**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
System Administrator.	01* (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘A’, Gazetted, Non – Ministerial.	Level -11 in the pay matrix (Rs.67700-208700).

Whether selection post or non-selection post.	**Age-limit for direct recruits.**	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**
(5)	**(6)**	**(7)**	**(8)**
Selection.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**	**In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(9)	**(10)**	**(11)**	**(12)**	**(13)**
Two years.	By promotion, failing which by deputation (including	**Promotion:** Web Administrator in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100 - 167800) with seven years regular service in the grade.	Group ‘A’ Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary for promotion.

	short- term contract).	**Note 1.-** The eligibility service shall continue to be five years for persons holding the feeder post of Web Administrator in level-9 in the pay matrix (Rs. 53100-167800) on regular basis on the date of notification of these rules. **Note 2.-** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation(including short-term contract): Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous body or statutory organisation or public sector undertakings or recognised university or recognised research institutes,- (a) (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service rendered after appointment to the post on a regular basis in level - 10 in the pay matrix (Rs. 56100-177500) or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- **Essential:** (i) Masters degree in computer application or computer science or Master of Science (computer science) or Information technology from a recognised university or recognised institute; or (ii) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology in Computer Engineering or Computer Science or Computer Technology or Computer Science and engineering or information technology	1. Chairman or Member of Union Public Service Commission -Chairman; 2. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy -Member; 3. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy -Member. Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:- 1. Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy -Chairman; 2. Joint Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member; 3. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy - Member.	

		from a recognised university or recognised institute; (iii) Five years post-qualification experience in the areas of System Administration that is to say configuration and maintenance of servers, storage, database in a Government office or public sector undertakings or autonomous body or statutory body or recognised institution. **Desirable:** (i) One year experience of the configuration of local area network and wide area network technologies; (ii) One year experience of web-based technologies of or similar to web spear, apache, Internet Information Service and scripting languages of or similar to pearl, Hypertext Preprocessor, Hyper Text Markup Language, python; and (iii) One year experience of Network and Information Security, application security auditing, firewall management, and vulnerability assessment. **Note 1.-** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 2.-** The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 3.-** The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/79/2018-PT(E)]

CHANDAN KUMAR, Under Secy.